झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

विज्ञापन संख्या 01/स्था0/2016

अस्थायी आधार पर उपलब्ध रिक्तियो को भरने हेतु योग्य अभ्यर्थियो से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. उच्च न्यायालय में सहायक, वेतनमान 9300–34800 रू, ग्रेड वेतन–4600 रू (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तो के साथ)।
2. न्यायिक अकादमी झारखण्ड में सहायक, वेतनमान 9300–34800 रू, ग्रेड वेतन–4600 रू (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तो के साथ)।
3. झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में सहायक/लिपिक हेतु, वेतनमान 5200–20200 रू ग्रेड वेतन – 2400 रू (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तो के साथ)।
4. झारखड राज्य के कुटूम्ब न्यायालयों में सहायक/लिपिक हेतु, वेतनमान 5200–20200 रू ग्रेड वेतन–1900 रू (नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्तो के साथ)।

रिक्तियों की विवरण निम्नलिखित है:

1. उच्च न्यायालय में सहायक पदों के रिक्तियों की स्थिति–

कम संख्या	पद का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या		
			कुल रिक्तियों के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		
			कुल	महिला	शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	झारखण्ड उच्च न्यायालय मे सहायक	सामान्य	50	03	02
		अनुसूचित जनजाति	26	01	01
		अनुसूचित जाति	10	01	शून्य
		बी0 सी0 I	09	शून्य	शून्य
		बी0 सी0 II	05	शून्य	शून्य
		कुल	100	05	03

2. न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची में सहायक एवं झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों में सहायक/ लिपिक पद के रिक्तियों की स्थिति–

न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची के लिए सहायक						
कोटि	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ई0बी0 सी0 (बी0 सी0 I)	बी0 सी0 II	कुल
रिक्ति	01	01	शून्य	शून्य	शून्य	02
झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों एवं कुटूम्ब न्यायालयों के लिए सहायक/लिपिक						
कोटि	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ई0बी0 सी0 (बी0 सी0 I)	बी0 सी0 II	कुल
रिक्ति	83	65	29	20	09	206

अभ्यर्थी अपने आवेदन नीचे दिये गए प्रपत्र में महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पते पर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जायेगें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 31 मार्च 2016 है।

यह विज्ञापन झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आधिकारिक वेबसाइट **www.Jharkhandhighcourt.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

पात्रता मानदण्ड

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी एवं कम्प्यूटर पर टंकण की अच्छी जानकारी हो।
2. अभ्यर्थी उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम नैतिक आचरण वाले हों तथा किसी आपराधिक मामले या किसी प्रकार के नैतिक दूराचार में संलिप्त न हों या संबध नहीं रखते हों।
3. अभ्यर्थियों की आयु 01.01.2016 को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा उसका उम्र सामान्य कोटि हेतु 35 वर्ष, ई0बी0सी0 (बी0सी0I) तथा बी0सी0 (बी0सी0II) कोटि हेतु 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के मामलों में (सामान्य, ई0बी0सी0 तथा बी0सी0) 38 वर्ष तथा एस. सी. / एस.टी. कोटि के अभ्यर्थियों के मामलों में आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों को आयु में पाँच (05) वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा।
4. राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा उसका लाभ केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को हीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का अभ्यर्थी माना जाएगा।

दृष्टि निःशक्तता एवं चलन निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति को उनके माँग पर लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। शारीरिक रूप से निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को @ 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय प्रदान की जाएगी। यह सुविधा शारीरिक रूप से निःशक्त सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु सुविधायें

श्रुतिलेखक / लेखक वैसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा जो दृष्टिहीनता / मंद दृष्टि, दोनों हाथ और बाँह की चलन निःशक्तता, मस्तिष्क पक्षाघात, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत और उससे अधिक है और लिखने पढ़ने में असमर्थ हो। निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक / लेखक निम्न शर्तो के अधीन दी जाएगीः—

(i) केवल वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक / लेखक उपलब्ध कराया जाएगा, जब पी0एच0—मस्तिष्क पक्षाघात या दृष्टि, प्रवेश पत्र के कोटि के स्तम्भ में स्पष्टतः लिखा हो।

(ii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक / लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(iii) श्रुतिलेखक / लेखक की शैक्षणिक योग्यता भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे की होगी और वह अभ्यर्थी का निकट संबधी नहीं होगा।

(iv) श्रुतिलेखक / लेखक के अंतिम शैक्षणिक परीक्षा में उसका प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अवश्य कम होना चाहिए।

(V) श्रुतिलेखक / लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए निःशक्त अभ्यर्थी को एक आवेदन और स्वयं द्वारा व्यवस्था किए श्रुतिलतेखक / लेखक का विवरण विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—1) में स्वअभिप्रमाणित निःशक्तता का प्रमाण पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र में दिए परीक्षा केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक को परीक्षा से एक दिन पूर्व समर्पित करना होगा।

(Vi) निःशक्त अभ्यर्थी को परीक्षा समय से 90 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर श्रुतिलेखक / लेखक के साथ उपस्थित रहना होगा। यदि वे बिना श्रुतिलेखक / लेखक के आते हैं तो उन्हें श्रुतिलेखक / लेखक का लाभ प्राप्त नहीं होगा और वे इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(Vii) परीक्षा अधीक्षक निःशक्त अभ्यर्थियों को @20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय देंगे।

(Viii) श्रुतिलेखक / लेखक की सुविधा वैसे अभ्यर्थियों को प्रदान नहीं की जाएगी जो चलन निःशक्तता और मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हो, लेखन क्षमता 40 प्रतिशत से अधिक हो परन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हों। इसके बावजूद भी, उन्हें प्रति घंटा परीक्षा के लिए @20 मिनट का अतिरिक्त समय दी जाएगी।

(iX) श्रुतिलेखक / लेखक की सुविधा निःशक्त अभ्यर्थियों को तभी दी जाएगी जब वे इस आशय का एक आवेदन उनके प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को परीक्षा से एक दिन पूर्व समर्पित करेंगे। इस आशय का कोई भी आवेदन परीक्षा की तिथि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नकः—अभ्यर्थियों को संलग्न करना होगा—

1. सामान्य वर्ग, ई0बी0सी0 (अनुसूची—I), बी0सी0 (अनुसूची—II) के लिए 500 (केवल पाँच सौ) रूपये एवं अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 कोटि के लिए 125 (केवल एक सौ पच्चीस) रूपये का मूल

बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा शुल्क के रूप में, जो महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की राँची शाखा पर देय हो। अन्य माध्यमों से प्राप्त परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. पासपोर्ट आकार के तीन अद्यतन फोटो (राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित एक फोटो सहित) आवेदन पत्र पर चिपकाया गया हो।
3. एक स्वपतालिखित बिना टिकट का 10 X 4.5 से0मी0 आकार का लिफाफा।
4. जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी एवं अंक पत्र, की छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित हो।
5. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का अंक पत्र तथा औपबंधिक/मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ–साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्युटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
6. जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र या सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, जो कि जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त (केवल आरक्षित कोटि के मामले में) द्वारा सत्यापित तथा प्रतिहस्ताक्षरित हो, का राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।
7. जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त द्वारा जारी डोमिसाइल (आवासीय) प्रमाण–पत्र या सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी डोमिसाइल (आवासीय) प्रमाण–पत्र, जो कि जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त, यदि वे आरक्षण का दावा करते हैं, द्वारा सत्यापित तथा प्रतिहस्ताक्षरित हो, का राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।
8. निःशक्तता प्रमाण–पत्र, निःशक्त अभ्यर्थियों के मामलों में, जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी हो, का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति।

महत्वपूर्ण

1. आवेदन सिर्फ अंग्रेजी में भरा जाएगा।
2. चयन सूची में, जो मेधा सूची में उच्चतर स्थान पाएंगे, उन्हें उच्च न्यायालय में सहायक के पदों के उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की जाएगी। इसके पश्चात उन्हें न्यायिक अकादमी झारखण्ड/व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में सहायक/लिपिक के पद पर नियुक्ति की जाएगी।
3. मेधा के आधार पर तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से ही नियुक्ति की जाएगी।
4. नियुक्ति के उद्देश्य से, अभ्यर्थियों के मेधा सूची, लिखित परीक्षा तदुपरान्त कम्प्युटर पर कार्य करने की जाँच तथा कम्प्युटर पर टंकण करने की जानकारी तथा मौखिक/साक्षात्कार जाँच के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को 100 शब्दों का एक अनुच्छेद 20 शब्द प्रति मिनट की दर से टंकण करना होगा तथा उसे परीक्षा प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए कंपैक्ट डिस्क में संरक्षित (बर्न) करना होगा तथा कम्पयुटर जांच के बाद तुरंत इसे उन्हें हस्तगत करना होगा।
5. सभी पदों की नियुक्ति में चयन समिति/उच्च न्यायालय का निर्णय सभी संबंधित पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा इस संदर्भ में कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. परीक्षा तथा परीक्षा केन्द्र के विनिश्चय से संबंधित जानकारी बाद में घोषित किया जाएगा।
7. परीक्षा की तिथि तथा उसका स्थान दर्शाते हुए प्रवेश–पत्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि, इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम–से–कम दो दिन पूर्व महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है।
8. डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का नाम तथा पता अवश्य लिखना होगा।
9. अधुरे आवेदन, जो उपरोक्त विहित अपेक्षताओं को नहीं पूरा करता है, को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई अग्रतर पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. किसी भी रूप में पैरवी करने पर, आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
11. लिफाफा, जिसमें आवेदन पत्र हो, **"झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में सहायक, न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची तथा झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में सहायक/लिपिक के पद हेतु आवेदन"** शब्द लिखना जरूरी होगा।
12. अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिनांकः– 01.03.2016

आदेश से

ह0 महानिबंधक

प्रपत्र

झारखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक, न्यायिक अकादमी झारखण्ड, राँची में सहायक और झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में सहायक/लिपिक पद हेतु आवेदन

राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें।

पद के लिए आवेदन

(जो लागू हो उस पर कृप्या चिन्ह लगाऐं)

(क) उच्च न्यायालय के सहायक– ☐

(ख) व्यवहार न्यायालय के सहायक/लिपिक– ☐

(ग) न्यायिक अकादमी झारखण्ड के सहायक/लिपिक– ☐

(घ) कुटूम्ब न्यायालय के सहायक/लिपिक– ☐

(i) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में):–...

(ii) पिता/पति का नामः–...

(iii) पत्राचार हेतु पता (पिन कोड के साथ):–...

....

....

(iv) (अ) मोबाईल नं0, यदि कोई हो:–...

(ब) इमेल आई0डी0, यदि कोई हो:–...

(v) स्थाई पता:–...

....

....

(vi) जन्म का स्थान एवं तिथि:–...

(vii) दिनांक 01.01.2016 को उम्र:– ....वर्ष .... महीना..............दिन

(viii) राष्ट्रीयता:–...

(ix) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यतायें:–

परीक्षा उत्तीर्ण	**बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम**	**उत्तीर्ण होने का वर्ष**	**अंक प्रतिशत**	**वर्ग/श्रेणी**

(x) विशेष योग्यता, यदि कोई हो:–

(xi) कोटि (कृप्या चिन्ह लगाएं):–

1. सामान्य–
2. ई0वी0सी0 (अनुसूची–I)–

3. वी0सी0 (अनुसूची–II)–
4. अ0जा0–
5. अ0ज0जा0–

(xii) लिंग (कृप्या स्पष्ट करें):–

(xiii) क्या निःशक्त है, यदि हाँ, तो निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत का वर्णन करें:–

(क) दृष्टि विहीनता या निम्न दृष्टि

(ख) श्रवण दुर्बलता/क्षीणता

(ग) चलन निःशक्तता या मस्तिष्क पक्षाघात

(xiv) क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान/उपक्रम में कार्यरत हैं (हाँ/ना)

यदि हाँ, तो

1. विभाग/संस्थान का नाम–
2. धारित पद का नाम–
3. कब से–

(xv) डिमांड ड्राफ्ट का विवरण

(1) राशि :

(2) डी0डी0 नं0 :

(3) दिनांक :

(4) देय :

<u>घोषणा पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है और ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित किया गया है और ना ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी अपराध के लिए कोई आपराधिक वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर झारखण्ड उच्च न्यायालय मेरी अभ्यर्थिता चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर सकता है और स्वविवेक से परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित कर सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि अगर किसी गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति होती है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त/रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरूद्ध आपराधिक/दाण्डिक कानूनों के तहत अभियोजन भी शुरू किया जा सकेगा।

दिनांक..................

स्थान....................

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–1

झारखण्ड उच्च न्यायालय/न्यायिक अकादमी झारखण्ड में सहायक और झारखण्ड राज्य के व्यवहार न्यायालयों/कुटूम्ब न्यायालयों में सहायक/लिपिक पद हेतु आवेदन

श्रुतिलेखक/लेखक का विवरण

1. आवेदक का नामः–..
2. अनुकमांक सं0ः–..
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशतः–..
4. परीक्षा केन्द्र का नामः–..
5. परीक्षा कमरा संख्याः–............................ (इसे न भरे)
6. श्रुतिलेखक/लेखक का नामः–...
7. श्रुतिलेखक/लेखक के पिता/पति का नामः–...
8. श्रुतिलेखक/लेखक का पताः–...
   ....
9. श्रुतिलेखक/लेखक का जन्म तिथिः–...
10. श्रुतिलेखक/लेखक का शैक्षणिक योग्यताः–

परीक्षा या पाठ्यकम का नाम	**संकाय**	**वर्ष**	**उत्तीर्ण/अध्ययन**	**श्रेणी/वर्ग और अंकों का प्रतिशत**	**बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम**

मैं .... प्रमाणित करता हूँ कि श्रुतिलेखक/लेखक श्री/श्रीमती/सुश्री .... केवल 12वीं/इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है और वह हमारे निकट संबंधी नहीं है। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर झारखण्ड उच्च न्यायालय मेरी अभ्यर्थिता चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर सकता है और स्वविवेक से परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित कर सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि अगर किसी गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अन्तर्गत मेरी नियुक्ति होती है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त/रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरूद्ध आपराधिक/दाण्डिक कानूनों के तहत अभियोजन भी शुरू किया जा सकेगा।

श्रुतिलेखक/लेखक का हस्ताक्षर   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी

निरीक्षक का हस्ताक्षर   परीक्षा अधीक्षक का हस्ताक्षर